

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय 92, गांधीनगर मार्ग, बजाज नगर, जयपुर

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05.07.2021 को प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय की टोयोटा क्वालिस डीजल मॉडल-2003 चालू हालत में, खुली बोली द्वारा विक्रय की जानी है, इच्छुक बोली दाता उच्चतम मूल्य की बोली लगाकर वाहन खरीद सकता है। बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बयाना राशि के रूप में रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट KVS Sangathan, Regional office, के नामे कार्यालय में जमा करना होगा। वाहन का अवलोकन इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य बोली दिनांक से पूर्व किया जा सकता है। सफल बोली दाता को पूर्ण राशि धरोहर राशि के समायोजन के बाद शेष राशि दो दिन के भीतर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाईट <https://rojaipur.kvs.gov.in> का अवलोकन करे।

उपायुक्त

# केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

कार्यालय के अनुपयोगी वाहन नं. RJ14PD8857 की नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तें

1. वाहन का निपटान "जहां है जैसा है" के आधार पर होगा और केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के कार्यालय द्वारा इसकी योग्यता या गुणवत्ता की कोई गारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। वाहन की स्थिति का निरीक्षण भौतिक रूप से बोली लगाने से पूर्व किया जा सकता है।
2. प्रत्येक बोली दाता को बयाना राशि अर्थात् रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र)। बयाना राशि "KVS Sangathan, Regional office जयपुर के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है। बयाना राशि चैक अथवा नगद भुगतान के रूप में किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. यदि इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली दाता/सफल बोली दाता निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले के रूप में घोषित बोली दातां को सूचना की तिथि से 02 कार्य दिवसों के भीतर बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है। तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, तो भी उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि बिक्री से प्राप्त राशि की बसूली के बाद ही जारी की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में बोली का सम्मान करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। एच-1 बोलीदाता की बयाना राशि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत बिक्री राशि में समायोजित की जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिक्री प्रक्रिया के सफल समापन के बाद ही लोटाई जाएगी।
5. वेचे गए वाहन की सुपुर्दगी की व्यवस्था तभी की जाएगी जब सफल बोलीदाता आवासीय स्थिति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड और फर्मों के मामले में पंजीकरण आदि।
6. सफल बोलीदाता द्वारा वाहन को कार्यालय कार्य दिवस में ही ले जाने की अनुमति होगी।
7. सफल बोलीदाता वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने नाम पर अपने खर्च पर शीघ्रता से प्राप्त कराने के लिए भी जिम्मेदार होगा। कानून के अनुसार और सरकार के परिवहन प्राधिकरण के लिए लागू मोटर वाहन अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कागजी कार्यों को करने के लिए खरीदार की ही एकमात्र जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में केता की ओर से किसी प्रकार की चूक के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8. बोली लगाने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा बोली लगाने वाले को अपना पूरा नाम/फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पिता का नाम, पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर बताना होगा।
9. वर्तमान में वाहन पर किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा प्रभार नहीं है, सफल बोलीदाता को वाहन सुपुर्द करने के बाद किसी प्रकार के विवाद के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
10. यदि उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म बोली का सम्मान करने में विफल रहती है, तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी और उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, अगले उच्चतम बोली लगाने वाले पात्र बोलीदाता (H-2 को उद्धृत करने वाली पार्टी) को बोली को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा, बशर्ते वह H-1 पार्टी द्वारा दी गई कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय कार्यालय जयपुर के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(बी.एल.मोरोडिया)

उपायुक्त

सेवामें

उपायुक्त महोदय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर।

विषय- आपके कार्यालय के पुराने वाहन की नीलामी में भाग लेने के संबंध में।

1. मैंने/हमने प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है तथा समझ लिया है, विशेष रूप से बयाना राशि के संबंध में और इनका अक्षरशः पालन करने के लिए सहमत हूं। प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
2. मैं/हम बयाना राशि को जब्त करने के लिए सहमत हूं/हैं यदि मैं/हम पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सभी या किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता हूं।
3. मैं/हम एतद्वारा वचन देते हैं कि वाहन का उपयोग केवल वास्तविक/वैध उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

अतः मैं/हम वाहन नं. RJ14PD8857 की नीलामी में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ/है। इस संबंध में आपके द्वारा चाही गई बयाना राशि निम्नविरण के अनुसार संलग्न है:-

बयाना राशि	1. राशि/ Rs..... 2. नं..... 3. दिनांक..... 4. जारी करने वाले बैंक का नाम..... 5. शाखा
बोलीदाता का नाम	
प्रमाण सहीत पूर्ण पता	
मोबाइल नं.	

(ऊपर दिया गया पता पूरा होना चाहिए और प्रमाण के साथ समर्थित होना चाहिए (राशन कार्ड, बोटर आईडी कार्ड, नवीनतम टेलीफोन / बिजली बिल, बैंक पास बुक कॉपी की स्वप्रमाणित प्रतियां)

भवदीय

हस्ताक्षर.....  
नाम.....